सं.15/33/2010-रा.भा.(सेवा)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली 110003, दिनांक 9 दिसम्बर,2010

कार्यालय ज्ञापन

14 DEC 2010

विषयः कनिष्ठ अनुवादक के रिक्त पद को वैकल्पिक आधार पर भरना ।

विभिन्न मंत्रालय/विभाग समय-समय पर कनिष्ठ अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध करते हैं, परन्तु अनेक अवसरों पर संवर्ग में कोई कनिष्ठ अनुवादक उपलब्ध न होने के कारण राजभाषा विभाग कनिष्ठ अनुवादक के रिक्त पद को भरने में तत्काल समर्थ नहीं होता है । जैसा कि विदित है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अन्य संवर्गों की भांति इस संवर्ग में भी नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में निर्धारित प्रक्रियात्मक पक्षों के कारण, कतिपय अवसरों पर एक वर्ष या उससे अधिक का समय लग जाता है । यद्यपि इस स्थिति के दृष्टिगत राजभाषा विभाग अग्रिम कार्रवाई करता है तथापि नियुक्ति की प्रक्रिया दीर्घ होने के कारण नियुक्ति के फलीभूत होने तक अनेक चयनित अभ्यार्थी रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के कारण अनुपलब्ध हो जाते हैं ।

2. उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के आलोक में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि यदि उनके कार्यालय में कनिष्ठ अनुवादक का पद रिक्त है या रिक्त होने वाला है, तो उस स्थिति में, जब तक राजभाषा विभाग नियमित आधार पर किसी कनिष्ठ अनुवादक की तैनाती नहीं कर देता है , तब तक आप अपने स्तर से स्वयं कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लें । वैकल्पिक व्यवस्था में नियमानुसार सेवा प्रदाता (service provider) के माध्यम से वांछित सेवाएं सीमित अवधि के लिए प्राप्त (आऊटसोर्स) करने पर विचार किया जा सकता है । वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का दावा ना कर सके ।

3. कर्मचारी चयन आयोग से कनिष्ठ अनुवादकों के डोजियर प्राप्त होते ही आपके कार्यालय के कनिष्ठ अनुवादक के रिक्त पद के विरूद्ध नियमित आधार पर तैनाती के लिए अधिकारी को नामित कर दिया जाएगा ।

जारी किया
ISSUED
21 DEC 2010
MHA NBI
R&I

4. यह निर्देश सचिव (राजभाषा) के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं ।

(धर्म सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशा.)